

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम खीवसर
रामलाल बनाम नगराम वगैरह

क्र.सं. मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट नं. 11 सन् 2017

हुम या कार्यवाही भय इनिवियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम की
तामील में जारी
हुए

017

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध
राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के
तहत प्रस्तुत किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली
पर मौजूद रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर
मौजूद रिकॉर्ड एवं बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण
प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है इसलिए आमान आदेश
तक बहक उभयपक्षकारान के विरुद्ध अस्थाई निर्णय जा इस
आशय कि जारी की जाती है की मौजा भोडास के
विवादग्रस्त खेत ख.न. 245 रकबा 354 बीघा, ख.न. 313
रकबा 55.03 बीघा, ख.न. 315 रकबा 0.06 बीघा, ख.न.
316 रकबा 01.05 बीघा, ख.न. 317 रकबा 00.15 बीघा, ख.
न. 318 रकबा 128.08 बीघा, ख.न. 318/473 रकबा 00.
10 बीघा, ख.न. 319 रकबा 56.05 बीघा, मौजा आडेली के
खेत ख.न. 44 रकबा 00.03 बीघा, ख.न. 45 रकबा 121.19
बीघा, ख.न. 46 रकबा 85.09 बीघा, ख.न. 52 रकबा 20.05
बीघा, ख.न. 54 रकबा 90.08 बीघा की उभयपक्षकारान
राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रहें, तथा
वादग्रस्त खेताय का वैधान हस्तान्तरण न तो करा करे न
ही किसी अन्य से करावें।

अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तय किया
जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जवाब
प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
जावेगी। मिशल वास्ते जवाब हेतु दिनांक 14.03.2017 पेश
हो।

03.02.17

सहायक कलक्टर
खीवसर

14/3/17

शुभचिन्त - G. K. Mahajan

24/4/17

24-4-17

19-12-17

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम


नं.

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश। कबील प्रती, डीप अग्रणी
की कलगी हेतु आज ही Reg. Ap में
नोटिस प्रेषित के बिना जारी की कम्प्लेक्स
प्रकरण पुराना है इसलिए अतिम स्वयं
प्रदान किया जाता है। अग्रणी अग्रणी 1,
4, 6, 9 + 11, 13 + 19 के नोटिस वाद
नोटिस प्राप्त। पत्रावली डीप की कलगी
हेतु दिनांक 28/11/22 को पेश है।


सहायक कलेक्टर
(SDO), खीबसा

2/12/22


पत्रावली आज नारियल पेशी पर ली गयी।
वादी स्व परिवारी को छार-छार जमानत
हाज में आवाज दिलवायी गयी, अगर
गैर हाजिर। छार-छार आवाज दिलवाने के
बाद ही जमानत हाज में कोई भी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही अफसर में जारी
गयी है। वकीलकारी ने निवेदन कर बताया
कि मेरे इस उक्त प्रकरण में पेशी नहीं
करना चाहता तथा खर्चा करवाना चाहता
है। उक्त वकीलकारी के निवेदन पर उक्त
प्रकरण को अदालत पेशी - हुक्म हाजरी में
खरिद विषय जाग है।

पत्रावली फंशल शुभा क्षेत्र,
कम्प्लेक्स से उम होस्टल बाद जाया
धारित रफ्तार है।


सहायक जज
(E) मय